भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 64 of 2023

Sub.: Delegation of powers in Public Relations Directorate of Board's Office.

In partial modification of Office Order No. 55 of 2022 on the above mentioned subject, the S.No. 3 of Annexure-I regarding delegation of powers to EDIP/DIP in Public Relations Directorate of Board's Office has been revised as under:

Nature of Power	Existing	Revised
Delegation of power to EDIP/DIP (S.No. 3 of Annexure-I of Office Order No. 55 of 2022)- Preparation of suitable designs and artworks for advertisement, brochures, posters, hoardings, neon signs and any other publicity material.	Upto Rs.10,000/ (excluding taxes) in each case subject to annual ceiling of Rs. 2,00,000/- at BOC rates. For expenditure beyond the limit of Rs.10,000/(excluding taxes) per case or annual ceiling of Rs. 2,00,000/- approval of Secretary/ Railway Board will be required.	**Upto Rs.2,00,000/- in each case subject to annual ceiling limit of Rs. 75,00,000/- per annum provided a minimum of three quotations are invited except where the work is to be done at absolutely short notice, in which case single offer may be accepted with a certificate by EDIP/DIP that it was in public interest to do so. For expenditure beyond Rs. 2,00,000/- per case or Rs. 75 lakhs in a financial year, approval of Secretary Railway Board will be required with financial concurrence.**

2. The above issues with the approval of the competent authority.

Encls.: As above.

No. 2023/O&M/7/21
Dated:- 12.10.2023

(T. Srinivas)
Joint Secretary/ Railway Board
Tele No.: 011-47845551
Email ID : t.srinivas1@gov.in

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW Building and Dayabasti, New Delhi.

Copy to:
CRB & CEO, MF, M/Infra, MO&BD, M/TRS
Copy for information:
EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 64

विषय: बोर्ड कार्यालय के जन संपर्क निदेशालय में शक्तियों का प्रत्यायोजन

उपर्युक्त विषय पर 2022 के कार्यालय आदेश सं. 55 का आंशिक आशोधन करते हुए, बोर्ड कार्यालय के जन संपर्क निदेशालय में कार्यपालक निदेशक कार्यान्वन एवं योजना/निदेशक कार्यान्वन एवं योजना की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में अनुलग्नक-I के क्रम. सं. 3 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

शक्ति की प्रकृति	मौजूदा/वर्तमान	संशोधित
कार्यपालक निदेशक कार्यान्वन एवं योजना/निदेशक कार्यान्वन एवं योजना की शक्ति का प्रत्यायोजन (2022 के कार्यालय आदेश सं. 55 के अनुलग्नक का क्रम.सं. 3)- विज्ञापन, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग्स, नियोन संकेत और किसी भी अन्य प्रचार सामग्री हेतु उपयुक्त डिजाइन एवं कलाकृतियां तैयार करना।	बीओसी दरों पर 2,00,000/- रु. की वार्षिक अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रत्येक मामले में 10,000/- रु. तक (कर को छोड़कर), प्रति मामले में 10,000/- रुपये (कर को छोड़कर) या अनुमोदन की 2,00,000/- रुपये की वार्षिक सीमा से अधिक व्यय के लिए सचिव/ रेलवे बोर्ड के अनुमोदन आवश्यकता होगी।	75,00,000/- रु. प्रति वर्ष की वार्षिक अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रत्येक मामले में रु.2,00,000/- तक, बशर्ते कि न्यूनतम तीन कोटेशन लिए जाएं, अपताद स्वरूप जहां कार्य अत्यंत कम समय में किया जाना हो, इस स्थिति में एकल प्रस्ताव कार्यपालक निदेशक कार्यान्वन एवं योजना/निदेशक कार्यान्वन एवं योजना द्वारा प्रमाण पत्र के साथ स्वीकार किया जा जाएगा, कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में था। वित्तीय वर्ष में प्रति मामला 2,00,000/- रुपये या 75 लाख रुपये से अधिक के व्यय के लिए, वित्तीय सहमति के साथ सचिव रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
संलग्न:यथोक्त।

सं.2023/ओएंडएम/7/21
दिनांक:12.10.2023

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं.: 011-47845551
ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषितः

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)